भारत सरकार
राजस्व मंत्रालय
आयकर विभाग
कार्यालय आयकर आयुक्त,
न्यू सी.जी.ओ कम्पलेक्स, एन.एच. (IV), एन.आई.टी. फरीदाबाद।

1. फाइल संख्या : आ.आ./फरी./तक/80जी/2011–12/63/63/ 8409

2. प्रार्थी का नाम एवं पूरा पता : अग्रसर,
ए–261, साउथ सिटी–1,
गुडगांव।

3. हैसियत : ट्रस्ट

4. आदेश की तारीख : 29.02.2012

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80–जी(5) के साथ पठित आयकर नियम, 1962 के नियम 11कक(4) के अधीन छूट हेतु आदेश

अग्रसर, ए–261, साउथ सिटी–1, गुडगांव, ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के अन्तर्गत छूट हेतु दिनांक 05.09.2011 को आवेदन निर्धारित फार्म 10जी भरकर इस कार्यालय में दाखिल किया है। ट्रस्ट पहले से ही आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के अंतर्गत आदेश संख्या आ.आ/फरी./तक/2011–12/12ए/62/73 दिनांक 29.02.2012 को पंजीकृत है।

2. यह सत्यापित करने के लिए धारा 80जी के अधीन सभी शर्तें छूट हेतु पूरी कर ली गई है, पत्र फ. सं आ.आ./फरी./तक/80जी/2011–12/63/8230 दिनांक 21.02.2012 ट्रस्ट को जारी किया गया था और ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये ब्यौरों और दस्तावेजों को जांचा गया।

3. दिनांक 05.08.2011 को ट्रस्ट द्वारा दाखिल किये गए प्रार्थना पत्र और मेरे समक्ष दिनांक 28.02.2012 को निवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्यौरों व दस्तावेजों को जाँचने के पश्चात, मैं ट्रस्ट के उदेश्यों और उनके कार्य–कलापों की वास्तविकता से सहमत हूं। ट्रस्ट को दिये गये दान के

COMMISSIONER OF INCOME TAX
FARIDABAD
Exemption U/s 80G
No.: 63

फलस्वरूप आयकर अधिनियम की धारा 80जी व उससे संबंध नियमों के अंतर्गत दानकर्ता को छूट प्राप्त होगी इस संबंध में कानून की सभी अपेक्षाओं की अनुपालना जारी रहेगी।

4. यह आदेश छूट के लिए वित्तिय वर्ष 2011–12 संबंधित निर्धारण वर्ष 2012–13 एवं इसके उपरान्त के वर्षों पर लागू होगा।

COMMISSIONER OF INCOME TAX
FARIDABAD
Exemption U/s 80G
No.: 63

हस्त/
(रतन किशोर बजाज)
आयकर आयुक्त, फरीदाबाद।

प्रतिलिपि:

1. अग्रसर, ए–261, साउथ सिटी–1, गुडगांव ।
2. अपर आयकर आयुक्त, रेंज–I, गुडगांव।
3. सहायक आयकर आयुक्त, सर्कल–I, गुडगांव।

(एस.पी. शर्मा)
आयकर अधिकारी, मुख्य. (तक)
कृते आयकर आयुक्त, फरीदाबाद।